

पूर्वोत्तर रेलवे, (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० 2021/W-1/Genl/Gati Shakti Pt (e-3397961) dated 20.02.2023 में निहित निर्देशों के तहत महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्माण संगठन में सेवानिवृत्त अधिकारियों को निम्नलिखित पदों पर रि-इंगेज करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम सं०	विभाग	पद
1.	इंजीनियरिंग (JS/SS/JAG)	01
	कुल पद	01

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध तक रेल सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों से रि-इंगेज करने हेतु निम्न शर्तों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2024 है।
2. आवेदक की उम्र दिनांक 20.06.2024 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. चयनित अधिकारियों का रि-इंगेज का कार्यकाल उनकी आयु 65 वर्ष होने तक मान्य होगी।
4. रि-इंगेज के समय अधिकारियों को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए।
5. रि-इंगेजमेंट अधिकारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते, समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे।
6. रि-इंगेजमेंट किये गये भूतपूर्व अधिकारियों की सेवा कभी भी बिना पूर्व नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
7. अधिसूचना जारी करने की तिथि के पूर्व प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
8. मासिक पारिश्रमिक दर पर कार्य पर रखे जाने वाले इन मामलों के लिए अधिसूचना जारी करने पर प्रशासनिक निर्णय अंतिम माना जायेगा।
9. सकाधि/नि०/गोरखपुर के कार्यालय में इसके लिए एक बाक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है।
10. रिक्ति के अनुसार संबंधित कैडर के रेल अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं।
11. इसके लिए स्थानिय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
12. यह स्कीम दिनांक 20.06.2024 तक वैध होगी, तत्संबंधी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
13. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अतः सेवानिवृत्त रेल अधिकारी जो निर्माण संगठन में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक है, अपना आवेदन पत्र (सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र के साथ) दिनांक 20.01.2024 तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को प्रेषित करेंगे।

संलग्नक/यथोपरि।

(सुभाष चन्द्रा)

सकाधि/निर्माण

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/गोरखपुर

सं०-का/227/रि-इंगेज/निर्माण(राजपत्रित)

दिनांक 02.01.2024

प्रतिलिपि समान कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/पूउरे/गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचित कराने की व्यवस्था करें।
2. महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूउरे/गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे – निर्माण संगठन (कार्मिक शाखा)

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक आधार पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप।

1.	नाम:		स्टाम्प साइज फोटो
2.	पिता का नाम:		
3.	जन्म तिथि:		
4.	सेवा निवृत्त के समय पद:		
5.	आवेदित पद:		
6.	कार्यालय जहाँ सेवानिवृत्त हुये हैं:		
7.	सेवानिवृत्ति की तारीख:		
8.	वेतनमान एवं ग्रेड पे:		
9.	अंतिम मूल वेतन:		
10.	पेंशन की रकम:		
11.	पत्राचार का पता:		
12.	सम्पर्क नम्बर (मोबाईल):		
13.	संलग्नक हाँ / नहीं	1. सेवा प्रमाण पत्र 2. पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) 3. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र	
14.	किस शाखा में पुनर्नियोजित होना चाहेंगे?		

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड/मु0प्र0अ0/निर्माण/गोरखपुर के द्वारा समय – समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

पता—.....

नाम.....

.....

मोबाइल नं0.....